झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 07 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री रमेश हाँसदा,
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य,
भाजपा (अनु० जन० मोर्चा).

बनाम

प्रतिवादी DSO, सरायकेला-खरसावाँ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–07 / 2023 परिवादी श्री रमेश हँसदा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), बाघरा ईसाई, पो0–गोविन्दपुर, थाना–राजानगर, जिला–सरायकेला खरसाँवा का दिनांक–11.01.2023 का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। परिवादी श्री हँसदा द्वारा को आयोग को समर्पित परिवाद पत्र में माह दिसम्बर का NFSA एवं PMGKAY के तहत् तथा माह जनवरी, 2023 का NFSA के तहत् राशन वितरण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया था। उक्त पत्र आयोग के पत्रांक–49 दिनांक–16.01.2023 द्वारा विभागीय प्रधान सचिव को प्रेषित है। उक्त मामले में विभाग के पत्र ज्ञापांक–447 दिनांक–07.02.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला को जांच कर कार्रवाई किये जाने हेतु निदेशित करने की सूचना आयोग को प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि इस बीच परिवादी श्री हँसदा द्वारा दिनांक–30.01.2023 के परिवाद पत्र में सरायकेला खरसाँवा जिले के लाभुकों को अबतक PMGKAY के तहत् मिलने वाला मुफ्त अनाज नहीं मिल पाने का उल्लेख किया है। प्राप्त परिवाद पत्र आयोग के पत्रांक–80 दिनांक–30.01.2023 द्वारा DGRO, सरायकेला खरसाँवा को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति DSO को भी 3 दिनों के अन्दर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु प्रेषित है। इस संबंध में सूचना अप्राप्त रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर आयोग स्तर से भी सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला खरसाँवा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। Sp 6.3.23 — **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 06/03/2023 — **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	